भाग 2

व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार

अध्याय 7

कंपनी निर्माण

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप:

- कंपनी निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्तरों का उल्लेख कर सकेंगे;
- कंपनी निर्माण के प्रत्येक स्तर के विभिन्न चरणों का वर्णन कर सकेंगे;
- कंपनी, रजिस्ट्रार के पास जमा कराए जाने वाले प्रलेखों का उल्लेख कर सकेंगे;
- समामेलन प्रमाण पत्र एवं व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समझा सकेंगे।

अवतार जो एक कुशाग्र बुद्धि इंजिनियर है, ने अपने कारखाने में, जिसे वह एक एकल स्वामित्व के रूप चला रहा है, हाल ही में एक नये कारबोरेटर को विकसित किया है। इस नये कारबोरेटर से कार इंजन की पेट्रोल खपत 40 प्रतिशत कम हो सकती है। अब वह इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की सोच रहा है जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। अपने कारबोरेटर के निर्माण एंव विपणन का व्यवसाय करने के लिए उसे संगठन के विभिन्न स्वरूपों का मूल्यांकन करना होगा। उसने अपने एकल स्वामित्व को साझेदारी में परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लिया क्योंकि इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी तथा उत्पाद नया है इसमें जोखिम भी अधिक है। उसे सलाह दी गई कि वह एक कंपनी बनाए। वह कंपनी के निर्माण में आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में जानना चाहता है।

7.1 परिचय

आज के युग में व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। प्रतियोगिता में वृद्धि एवं तकनीकी पर्यावरण में तीव्र परिवर्तनों के कारण जोखिम में वृद्धि हो रही है। परिणाम-स्वरूप ज्यादातर व्यावसायिक इकाइयाँ, विशेषत: मध्य पैमाने एवं बड़े पैमाने के संगठनों की स्थापना हेतु कंपनी संगठन को प्राथमिकता दे रही हैं।

व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ तक के विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की विभिन्न स्थितियाँ कहलाती हैं। जो लोग यह कदम उठाते हैं, एवं इनसे जुड़ी जोखिम उठाते हैं, कंपनी का प्रवर्तन करते हैं वे इसके प्रवर्तक कहलाते हैं।

इस पाठ में कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों एवं प्रत्येक स्थिति के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन किया गया है जिससे कि इन पहलूओं के संबंध में सही रूप से जानकारी प्राप्त की जा सके।

7.2 कंपनी की संरचना

जैसा कि पिछले पाठ में संगठनों के विभिन्न स्वरूप में विचार कर चुके हैं। कंपनी की संरचना एवं जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफी वैधानिक औपचारिकताएं एवं प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। प्रक्रिया को भली-भांति समझने के लिए इन औपचारिकताओं को चार अलग-अलग चरणों में बाँटा जा सकता है जो इस प्रकार है:
(क) प्रवर्तन (ख) समामेलन (ग) पूँजी का अभिदान तथा (घ) व्यवसाय का प्रारंभ

ध्यान रहे कि ये स्थितियाँ एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण की दृष्टि से उचित है। जहाँ तक निजी कंपनी के निर्माण का संबंध है ऊपर दी गई पहली दो स्थितियाँ ही उपयुक्त हैं। दूसरे शब्दों में एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि इस पर जन साधारण से धन जुटाने पर प्रतिबंध है। इसे प्रविवरण पत्र जारी करने तथा न्यूनतम अभिदान की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर एक

सार्वजनिक कंपनी पूँजी को अभिदान की स्थिति से गुजरना होता है तब उसे व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। अतः इसे चारों स्थितियों से गुजरना होता है।

आइए अब कंपनी निर्माण की इन चारों परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन करें।

7.2.1 कंपनी प्रवर्तन

कंपनी निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है। इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज एवं कंपनी स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त सुअवसरों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से किसी के द्वारा सशक्त व्यवसाय के अवसर की खोज से इसका प्रारंभ होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी, कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। प्रवर्तक वह है जो दिए गए प्रायोजन के संदर्भ में एक कंपनी के निर्माण का कार्य करता है एवं इसे चालू करता है तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इस प्रकार से प्रवर्तक व्यवसाय के अवसर कल्पना करने के अतिरिक्त इसकी संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं तथा व्यक्ति, माल, मशीनरी, प्रबंधकीय योग्यताओं तथा वित्तीय संसाधनों को एक जुट करता है तथा संगठन तैयार करता है।

परिकल्पना की संभावना को भली–भाँति जाँच कर लेने के पश्चात प्रर्वतक संसाधनों को एकत्रित करता है, आवश्यक अभिलेखों को तैयार करता है। नाम निश्चित करता है तथा कंपनी का पंजीयन कराने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य करता है ताकि कंपनी व्यापार प्रारंभ कर सके। आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी अन्य क्रियाएँ करता है। इस प्रकार से कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक विभिन्न कार्य करता है जिन पर परिचर्चा नीचे की गई है।

एक प्रवर्तक के कार्यः प्रवर्तकों के महत्वपूर्ण कार्यों को इस प्रकार सूचिबद्ध किया जा सकता है:

(क) व्यवसाय के अवसर की पहचान करनाः एक प्रवर्तक का पहला कार्य व्यवसाय के अवसर की पहचान करना है। यह अवसर एक नई वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन की हो सकती है या फिर किसी उत्पाद का किसी अन्य माध्यम के द्वारा उपलब्ध कराने का अथवा अन्य कोई अवसर जिसमें निवेश की संभावना हो। ऐसे अवसर की तकनीकी एवं प्राथमिक संभावना को देख कर फिर इसका विश्लेषण किया जाता है।

(ख) संभाव्यता का अध्ययनः संभाव्यता का अध्ययन इसलिए हो सकता ताकि पहचान कर लिए गए, सभी अवसरों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करना, सदा संभव अथवा लाभप्रद न हो। प्रवर्तक इसीलिए जिन व्यवसायों को प्रारंभ करना चाहते हैं। उनके सभी पहलुओं की जाँच पड़ताल के लिए विस्तृत संभाव्य अध्ययन करते हैं।

इसकी जाँच के लिए कि क्या विदित व्यावसायिक अवसर में लाभ उठाया जा सकता

है। इंजिनियर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंटस आदि विशेषज्ञों की सहायता से नीचे दिए गए संभाव्य अध्ययन किए जा सकते हैं, जो परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करते हैं।

(क) तकनीकी संभाव्यता: कभी-कभी कोई विचार अच्छा होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन तकनीकी रूप से संभव नहीं होता है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आवश्यक कच्चामाल अथवा तकनीक सरलता से उपलब्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पिछले उदाहरण में माना कि अवतार को कार्बोरेटर के उत्पादन के लिए एक विशेष धातु की आवश्यकता है। माना इस धातु का उत्पादन देश में नहीं होता है एवं बुरे आर्थिक संबंधों के कारण इसका उस देश से आयात नहीं किया जा सकता जो इसका उत्पादन करता है। ऐसी स्थिति में जब तक धातु को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती है। परियोजना तकनीकी रूप से अव्यावहारिक होगी।

(ख) वित्तीय संभाव्यता: सभी व्यावसायिक कार्यो के लिए धन की आवश्यकता होती है। पहचान करा लिए गए व्यवसाय के अवसर के लिए प्रवर्तकों को धन की आवश्यकता का अनुमान लगाना होता है। यदि परियोजना पर होने वाला व्यय इतना अधिक है कि इसे उपलब्ध साधनों से सरलता से नहीं जुटाया जा सकता तो परियोजना को त्यागना होगा। उदाहरण के लिए कोई यह सोच सकता है कि नगरों का विकास करना बहुत लाभप्रद होता है लेकिन पाया गया कि इसके लिए कई करोड़ रुपयों की आवश्यकता होती है जिसकी प्रवर्तकों द्वारा एक कंपनी की स्थापना कर व्यवस्था नहीं की जा सकती। परियोजना की वित्तीय असंभाव्यता के कारण इस विचार को त्यागना पड़ सकता है।

(ग) आर्थिक संभाव्यता: कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक है लेकिन इसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में भी यह विचार त्यागना होगा। इन विषयों के अध्ययन के लिए प्रवर्तक साधारणतया विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि क्योंकि ये विशेषज्ञ प्रवर्तकों को इन अध्ययनों में सहायता कर रहे हैं मात्र इससे वह स्वयं प्रर्वतक नहीं बन जाते हैं।

केवल तभी जबकि इन जाँच पड़तालों के सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, प्रर्वतक वास्तव में कंपनी बनाने का निर्णय ले सकते हैं।

(क) नाम का अनुमोदन: कंपनी की स्थापना का निर्णय लेने के पश्चात प्रवर्तकों को इसके लिए एक नाम का चुनाव करना होगा एवं इसके अनुमोदन के लिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

प्रस्तावित नाम का अनुमोदन कर दिया जाएगा यदि इसे अनुपयुक्त नहीं माना गया है।

ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही इसी नाम की अथवा इससे मिलते जुलते नाम की एक कंपनी है या फिर पसंद का नाम गुमराह करने वाला है जैसे कि नाम से ही ऐसा लगता है कि कंपनी एक व्यवसाय विशेष में है, जबकि यह सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नाम को स्वीकृति नहीं मिलेगी लेकिन किसी वैकल्पिक नाम को मंजूरी मिल जाएगी। इसीलिए कंपनी रजिस्ट्रार को दिए गए प्रार्थना पत्र में तीन नाम प्राथमिकता दर्शाते हुए दिए जाते हैं। नामों की उपलब्धता के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप (फार्म-1ए) इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

(ख) उद्देश्य पत्रः प्रर्वतक को उन सदस्यों के संबंध में निर्णय लेना होगा जो प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य पर हस्ताक्षर करेंगे। सामान्यतः जो लोग उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। वही कंपनी के प्रथम निर्देशक होते हैं। निदेशक बनना एवं कंपनी के योग्यता अंश खरीदने के संबंध में लिखित स्वीकृति लेनी आवश्यक है।

(ग) कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्तिः प्रर्वतक उन आवश्यक प्रलेखों के बनाने में जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। उनकी सहायता करने के लिए मर्केंटाइल बैंकर्स, आडिटर्स आदि पेशेवर लोगों की नियुक्ति करते हैं। एक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी भी जमा करानी होगी जिसमें अंशधारियों के नाम और उनके पते तथा आंबटित अंशों की संख्या लिखी होगी। इसे आंबटन विवरणी कहते हैं।

(घ) आवश्यक प्रलेखों को तैयार करनाः प्रवर्तक अब कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। जिन्हें कंपनी के पंजीयन के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक है। यह प्रलेख निम्न हैः

(क) संस्थापन प्रलेखः संस्था का संस्थापन प्रलेख कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है क्योंकि यह कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कानूनन कोई भी

एक नाम को निम्न मामलों में अवांछनीय माना जाएगाः

(क) यदि यह पहले से ही मौजूद कंपनी का नाम हो अथवा उससे बहुत अधिक मिलता नाम हो।

(ख) यदि यह गुमराह करने वाला हो। ऐसा तभी माना जाएगा जबकि नाम से ऐसा लगता है कि कंपनी एक व्यवसाय विशेष में है अथवा यह एक विशेष प्रकार का संगठन है जबकि यह सत्य नहीं है।

(ग) यदि यह "दि एंबलम् एंड नेम्स (अनुपयुक्त उपयोग निरोधक) एक्ट 1950" की अनुसूची में दिये प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। इस अनुसूची में अन्य के अतिरिक्त विशेष रूप से यू.एन.ओ. एवं इसके अंग जैसे डब्लयू.एच.ओ., यूनेस्को आदि, भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारतीय राष्ट्र ध्वज के नाम, चिन्ह अथवा सरकारी मूद्रा सम्मिलित किया है। यह अधिनियम ऐसे नाम के प्रयोग का भी निषेध करता है जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण के संरक्षण का आभास देता हो।

कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हट कर कोई कार्य नहीं कर सकती। संस्थापन प्रलेख में विभिन्न धाराएँ होती हैं, जो नीचे दी गई हैं:

(क) नाम खंड: इस धारा में कंपनी का नाम दिया होता है। जिससे कंपनी जानी जाएगी एवं जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार ने पहले ही कर दिया है।

(ख) पंजीकृत कार्यालय खंड: इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय इस अवस्था में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निश्चित पते की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कंपनी के समामेलन के तीस दिन के भीतर इसे कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है।

(ग) उद्देश्य खंड: यह खंड संस्थापन प्रलेख की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसमें उन उद्देश्यों का वर्णन होता है, जिन उद्देश्यों को लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। कानूनन कंपनी इस धारा में दिए गए उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती। उद्देश्य की धारा दो उपधाराओं में विभाजित है। जो इस प्रकार है:

(घ) मुख्य उद्देश्य: इस उपखंड में उन मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। ध्यान रहे कि कोई भी कार्य जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अथवा संयोगिक है। न्याय-युक्त माना जायेगा भले ही उपखंड में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई है।

(ङ) अन्य उद्देश्य: जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है। उन्हें इस उप-खंड में रखा जाता है। वैसे यदि कंपनी चाहती है कि इस उपखंड में सम्मिलित व्यवसायों को करें तो उसे या तो विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा अथवा साधारण प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना होगा।

(च) दायित्व खंड: यह खंड सदस्यों की देयता को उन के स्वामित्व के अंशों पर अदत्तराशि तक सीमित करती है। उदाहरण के लिए माना एक अंश धारक ने 1000 शेयर 10 रु प्रति शेयर से क्रय किये हैं एवं 6 रु प्रति शेयर से उन पर भुगतान कर चुका है। ऐसे उसकी देनदारी 4 रु प्रतिअंश होगी। अर्थात खराब से खराब स्थिति में भी उससे 4000 रु माँगें जाएंगे।

(छ) पूँजी खंड: इस धारा में उस अधिकतम पूँजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होगी। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूँजी को एवं निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया है, का इस धारा में वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए माना कंपनी की अधिकृत पूँजी 25 लाख रु है जो 10 रु के 25 लाख अंशों में बँटी हुई है। यह कंपनी इस धारा में वर्णित राशि से अधिक की पूँजी के अंश निर्गमित नहीं कर सकती है।

(ज) संघ खंड : इस खंड में संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षरकर्ता कंपनी निर्माण के लिए इच्छा दर्शाते हैं एवं योग्यता अंशों के क्रय के लिए भी अपनी सहमति दर्शाते हैं।

योग्यता अंशः
यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों का भी प्रस्तावित कंपनी में कुछ भागीदारी है। सामान्यतः अंतर्नियमों में उनके लिए निश्चित संख्या में अंश खरीदने का प्रावधान होता है। कंपनी द्वारा व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले उन्हें इन अंशों को खरीदना अनिवार्य है। इन अंशों को योग्यता अंश कहते हैं।

संघ के सीमा नियमों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर कम से कम सात एवं निजी कंपनी है तो दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

संघ के संस्थापन प्रलेख की एक प्रति इस पाठ के अंत में दी गई है।

(अ) कंपनी के अंतर्नियमः कंपनी के अंतर्नियम में कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए होते हैं। यह नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं तथा संस्थापन प्रलेख में वर्णित किसी भी व्यवस्था के न तो विरोध में होंगे और न हीं उनसे ऊपर होंगे। एक सार्वजनिक कंपनी तालिका-ए को अपना सकती है, जो कंपनी अधिनियम में दिए गए आदर्श अंर्तनियम है, जो कंपनियाँ तालिका-ए को नहीं अपना रही हैं उन्हें कंपनी अंतर्नियमों की एक प्रति जिस पर मुहर लगाकर एवं संस्थापन प्रलेखन के हस्ताक्षर कर्ताओं से हस्ताक्षर कराकर पंजीयन के लिए रखनी होती है।

(ब) प्रस्तावित निर्देशकों की सहमतिः कंपनी के संस्थापन प्रलेख एवं, अंर्तनियमों के अतिरिक्त प्रत्येक मनोनीत निर्देशक द्वारा इसकी पुष्टि, कि वे निदेशक के पद पर कार्य करने एवं अंर्तनियमों में वर्णित योग्यता अंश में खरीदने एवं उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, करते हुए लिखित में सहमति।

(स) समझौताः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने वाला एक और प्रलेख है जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साथ उसे प्रबंधक निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता होता है।

संघ खंड कहता है

हम कुछ व्यक्ति जिनके नाम एवं पते नीचे दिए हैं। संस्थापन प्रलेख का अनुसरण करते हुए एक कंपनी का स्वरूप धारण करना चाहते हैं एवं इनमें से प्रत्येक व्यक्ति उन नामों के आगे लिखी संख्या में कंपनी की पूँजी के अंश खरीदने का वचन देते हैं।

वैधानिक घोषणा का प्रारूप
फार्म स. 1 कंपनी अधिनियम 1956
कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदन पर कंपनी अधिनियम 1956 की आवश्यकता के अनुपालन की घोषणा। धारा 33(2) के अनुरूप

कंपनी का नाम: मै. ....
प्रस्तुतीकरण: सुशील कुमार
चार्टेड एंकाउटेंट द्वारा

मैं ...., साझीद्वारा विधिवत एवं गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि मैं भारत में पूर्णकालिक अभ्यासरत् चार्टेड एंकाउटेंट हूँ एवं मैं .... प्रा. लि. कंपनी के गठन से जुड़ा हुँ एवं कंपनी अधिनियम 1956 की सभी आवश्यकताओं एवं इस कंपनी के पंजीयन से पूर्व के विशेष एवं उनके प्रासंगिक विषयों से संबंधित इसमें दिये गए नियमों का अनुपालन किया गया है एवं मैं यह विधिवत घोषणा, अंतरात्मा से इसको सत्य मानते हुए करता हूँ।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: चार्टेड एकाउंटेंट

(द) वैधानिक घोषणा: कंपनी के पंजीयन के लिए कानून उपर्युक्त प्रलेखों के अतिरिक्त रजिस्टार के पास एक घोषणा, की पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है, भी जमा करानी होती है। इस घोषणा पर कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का वकील अथवा पूर्णकालिक चार्टेड एंकाउटेंट या फिर अंतर्नियमों में नामित निदेशक, प्रबंधक अथवा कंपनी सचिव हो, हस्ताक्षर कर सकता है। एक वैधानिक घोषणा का प्रारूप नीचे दिया गया है:

(घ) फीस का भुगतान : कंपनी के पंजीयन के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रलेखों के अतिरिक्त आवश्यक फीस भी जमा कराई जाती है। इस फीस की राशि कंपनी की अधिकृत पूजी पर निर्भर करेगी।

प्रर्वतकों की स्थिति: प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने एवं उसे व्यापार प्रारंभ की स्थिति तक लाने के लिए विभिन्न कार्यों को करता है लेकिन न तो वह कंपनी के एंजेट और न ही उसके ट्रस्टी, वह कंपनी के एजेन्ट तो इसलिए नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी होना है। इससे स्पष्ट है, कि प्रर्वतक उन

प्रारंभिक प्रसंविदे

कंपनी के प्रवर्तन के समय प्रवर्तक कंपनी की ओर से बाहर के लोगों से कुछ प्रंसविदा कर सकते हैं। इन्हें प्रारंभिक प्रसंविदे अथवा समामेलन पूर्व प्रसंविदे कहते है। वैधानिक रूप से कंपनी इनसे बाध्य नही होती है। कंपनी के अस्तित्व में आने के पश्चात यदि कंपनी चाहे तो प्रवर्तकों के द्वारा किये गये प्रसंविदों को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्ही शर्तो पर नये प्रंसविदे कर सकती है। याद रहे कि कंपनी प्रारंभिक प्रंसविदे को नहीं कर सकती इस प्रकार से कंपनी को प्रारंभिक प्रसंविदो को पुरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रवर्तक इन प्रसंविदों के लिए दूसरे लोगों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं।

सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात् मान्यता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से वे प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है, जिसका उन्हें दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। वे, यदि लाभ कमाते हैं, तो उन्हें इसे उजागर करना चाहिए एवं गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी प्रसंविदों को रद्द कर सकती हैं एवं प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय मूल्य को वसूल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है तो कंपनी क्षति पूर्ति का दावा कर सकती है।

प्रवर्तक कंपनी के प्रर्वतन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। वैसे कंपनी चाहे तो समामेलन से पूर्व किए गए व्ययों का भुगतान कर सकती है। कंपनी प्रवर्तकों के माध्यम से क्रय की गई संपत्ति की क्रय राशि अथवा अशों की बिक्री पर उनकी सेवाओं के बदले एक-मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। कंपनी उन्हें अंशों अथवा ऋण पत्रों का आबंटन कर सकती है या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा दे सकती है।

7.2.2 समामेलन

उपर्युक्त औपचारिकताओं के पूरा कर लेने के पश्चात् प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र तैयार करते हैं। इस आवेदन पत्र को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा, इस आवेदन पत्र के साथ कुछ अन्य प्रलेख भी जमा कराए जायेंगे जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इनका संक्षेप में दोबारा से नीचे वर्णन किया गया है।

(क) कंपनी के संस्थापन प्रलेख– जिन पर आवश्यक मोहर लगी होती है एवं हस्ताक्षर किए होते हैं एवं गवाही की होती है। यदि यह सार्वजनिक कंपनी है तो इस पर कम से कम सात सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कंपनी निजी है तो दो सदस्यों के हस्ताक्षर ही पर्याप्त हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए अपने घर का पता, रोजगार एवं उनके द्वारा क्रय किए गए अशों की जानकारी देना आवश्यक है।

(ख) कंपनी के अंतर्नियम-जिस पर संस्थापन प्रलेख के समान मोहर लगी होनी चाहिए एवं गवाही होनी चाहिए। जैसा पहले ही कहा जा चुका है यदि चाहे तो कंपनी, कंपनी अधिनियम में दी गई तालिका 'ए' जो अंतर्नियमों का एक आदर्श संग्रह है, को अपना सकती है। ऐसा करने पर अंतर्नियमों के स्थान पर कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराएगी।

(ग) प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने के लिए लिखित सहमति एवं योग्यता शेयरों के क्रय का वचन।

(घ) प्रस्तावित प्रबंध निदेशक, प्रबंधक अथवा पूर्णकालिक निदेशक के साथ समझौता यदि कोई है तो रजिस्ट्रार द्वारा।

(ङ) कंपनी के नाम के अनुमोदन के पत्र की प्रति प्रमाण स्वरूप।

(च) वैधानिक घोषणा की पंजीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हैं। इस पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के वकील अथवा कंपनी के संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षरकर्ता या चार्टेड एकाउंटेट या फिर भारत में पूर्णकालिक अभ्यासरत कंपनी सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(छ) इन प्रलेखों के साथ पंजीकृत कार्यालय के सही पतों की सूचना भी दी जानी चाहिए। यदि समामेलन के समय यह सूचना नहीं दी गई है तो इसे समामेलन प्रमाण पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर जमा कराया जा सकता है।

(ज) पंजीयन के शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रलेख रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेखों के साथ आवेदन जमा हो जाने के

समामेलन प्रमाण पत्र का नमूना नीचे दिया है:

समामेलन प्रमाण पत्र का नमूना

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... (कंपनी का नाम) कंपनी का आज की तिथि को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत समामेलन हुआ है तथा कंपनी का दायित्व सीमित है।

आज नवंबर के सातवें दिन दो हजार पाँच को मेरे द्वारा दिया गया।

शुल्क: संलेख स्टैंप ....रु

पूँजी पर स्टैंप डयूटी ....रु

मोहर

हस्ताक्षर
कंपनी रजिस्ट्रार
दिल्ली

कंपनी की निगमित पहचान संख्या:
2005 का 1352

पश्चात् रजिस्ट्रार इस बात की संतुष्टि करेगा कि सभी प्रलेख सुव्यवस्थित हैं एवं पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इन प्रलेखों में वर्णित तथ्यों की प्रमाणिकता की जाँच के लिए भली–भाँति जाँच पड़ताल करने का दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं है।

जब रजिस्ट्रार पंजीयन की औपचारिकताओं के पूरा होने के संबंध में संतुष्ट हो जाता है तो वह कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र जारी कर देता है जिस का अर्थ है कि कंपनी अस्तित्व में आ गई है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र को कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है।

1 नवम्बर 2000 से कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को सी.आई.एन. (निगम पहचान नम्बर) का आंबटन करता है।

समामेलन प्रमाण पत्र का प्रभाव: कानूनी रूप से कंपनी का जन्म समामेलन प्रमाण पत्र पर छपी तिथि का होता है। उस तिथि को यह शाश्वत उत्तराधिकार के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्त्व प्राप्त कर लेती हैं एवं वैधानिक प्रंसविदों को करने के लिए अधिकृत हो जाती है। समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी समामेलन के नियमन का निर्णायक प्रमाण है। कल्पना करें कि उस पक्ष के साथ क्या होगा जिससे कंपनी ने कोई प्रसंविदा किया है और उसे किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। उसे बाद में पता लगता है कंपनी का समामेलन विधि सम्मत नहीं था इसलिए अवैध था। इसीलिए वैधानिक स्थिति यह है कि कंपनी को समामेलन प्रमाण जारी हो जाने के पश्चात् कंपनी के पंजीयन में दोष रह जाने पर भी इसको वैधानिक व्यावसायिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी के वैधानिक अस्तित्त्व का निर्णायक प्रमाण है। कुछ ऐसे दिलचस्प उदाहरण हैं जो कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र निर्णायक होने के प्रभाव को दर्शाता है। यह इस प्रकार है:

(क) पंजीयन के लिए 6 जनवरी को आवश्यक प्रलेख जमा कराए गए। समामेलन प्रमाण पत्र 8 जनवरी को जारी किया गया लेकिन प्रमाण पत्र पर तिथि 6 जनवरी लिखी थी। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का अस्तित्त्व था। इसीलिए 6 जनवरी को जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, वे न्यायोचित थे।

(ख) एक व्यक्ति ने संस्थापना प्रलेख पर दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर लिए। समामेलन फिर भी वैधानिक माना गया।

इस प्रकार औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों न हो, एक बार इसके जारी हो जाने पर यह कंपनी की स्थापना का पक्का प्रमाण है। यद्यपि कंपनी का पंजीयन अवैधानिक उद्देश्यों को लेकर हुआ है फिर भी कंपनी के जन्म को नकारा नहीं जा सकता। कंपनी का समापन ही इसका एकमात्र हल है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र बहुत अहम होता है। इसे जारी करने से पहले रजिस्ट्रार को बहुत ध्यान रखना होता है।

समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने पर निजी कंपनी तुरंत व्यापार प्रारंभ कर सकती है। यह मित्रों सगे–संबंधियों या फिर निजी स्रोतों से आवश्यक धन इकट्ठा कर व्यापार प्रारंभ कर सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी को इसके

निर्माण के दो और स्थितियों से गुजरना होता है। **अल्पकालिक प्रसंविदेः** ये वे प्रसंविदे होते हैं जिन पर समामेलन के पश्चात् लेकिन व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले हस्ताक्षर किऐ गए हैं। कंपनी द्वारा व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात ही यह लागू होते हैं।

7.2.3 पूँजी अभिदान

सार्वजनिक कंपनी जन साधारण से अंशों-एवं ऋण पत्रों का निर्गमन कर आवश्यक धनराशि जुटा सकता है। इसके लिए इसे प्रविवरण पत्र जारी करना होगा, जो जन साधारण को कंपनी की पूँजी के अभिदान के लिए आमंत्रण है, एवं अन्य औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। जनता से धन एकत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाने होंगेः

(क) **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) का अनुमोदन** जो हमारे देश का नियमन प्राधिकरण है, ने सूचना को प्रकट करने एवं निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जो कंपनी जनता से धन मांगती है, उसे सभी आवश्यक सूचना को भली-भाँति प्रकट कर देना चाहिए एवं संभावित निवेशकों से कोई सारयुक्त सूचना छुपानी नहीं चाहिए। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। इसीलिए जनता से धन जुटाने से पहले सेबी की पुर्वानुमति आवश्यक है।

(ख) **प्रविवरण पत्र जमा करनाः** कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र अथवा स्थानापन्न प्रविवरण पत्र की प्रति जमा करानी होती है। प्रविवरण पत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज है, जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन और अन्य दस्तावेज शामिल है जो जनता से जमा आंमत्रित करता है या एक निगमित संस्था के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में यह जनसाधारण से कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है या जमा आमंत्रित करता है। इस दस्तावेज में दी गई सूचना के आधार पर निवेशक किसी कंपनी में निवेश के लिए आधार बनाते हैं। इसीलिए प्रविवरण पत्र में कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए एवं सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ पूरी तरह से दी जानी चाहिए।

(ग) **बैंकर, ब्रोकर एवं अभिगोपनकर्त्ता की नियुक्तिः** जनता से धन जुटाना अपने आप में एक भारी कार्य होता है। कंपनी के बैंक प्रार्थना राशि प्राप्त करते हैं। ब्रोकर्स फार्मों का वितरण करते हैं एवं जनता को शेयर खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार यह कंपनी के अंशों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। यदि कंपनी को जनता द्वारा निर्गम के प्रति यथोचित अनुक्रिया की आश्वस्ति नहीं है तो वह अंशों के अभिगोपनकर्त्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। अभिगोपनकर्त्ता जनता द्वारा अंशों के अभिदान न करने पर स्वंय खरीदने का वचन देते हैं। वे इसके बदले कमीशन

लेते हैं। अभिगोपनकर्त्ताओं की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

(घ) **न्यूनतम अभिदानः** कंपनियाँ अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ न करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंशों के आंबटन से पूर्व कंपनी के पास अंशों की एक न्यूनतम संख्या आवेदन आ जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार इसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। न्यूनतम अभिदान की सीमा निर्गम के आकार के 90 प्रतिशत है। यदि इश्यू के आकार के 90 प्रतिशत से कम की राशि के लिए शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो आंबटन नहीं किया जाएगा एवं प्राप्त आवेदन राशि को आवेदनकर्त्ताओं को लौटा दी जाएगी।

(ङ) **कंपनी के शेयरों** अथवा ऋण पत्रों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम

संस्थापन प्रलेख एवं अंतर्नियम में अंतरः		
आधार	**संस्थापन प्रलेख**	**अंतर्नियम**
उद्देश्य	सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं।	अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम होते हैं। यह इंगित करता है कि कंपनी के उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है
स्थिति	यह कंपनी का मुख्य प्रलेख है तथा कंपनी अधिनियम के अधीन है।	यह सहायक प्रलेख है तथा सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम के दोनों के अधीन है।
संबंध	सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है।	अंतर्नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है।
बाध्यता	सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से भी अनुमोदित नहीं हो सकता।	अंतर्नियम के बाहर के कार्यों को अंशधारी अनुमोदित कर सकते हैं।
आवश्यकता	प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना अनिवार्य है।	अंतर्नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है। यह कंपनी अधिनियम की सूची ए को अपना सकती है।
परिवर्तन	सीमा नियम में परिवर्तन कठिन होता है एवं कई मामलों में तो संवैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।	अंशधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अंतर्नियमों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

एक 'शेयर बाजार' में आवेदन किया जायेगा। अभिदान सूची के बंद होने की तिथि से दस सप्ताह पूरे होने तक यदि अनुमति नहीं मिलती है तो आबंटन अमान्य होगा तथा आठ दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि उन्हें लौटा दी जाएगी।

(च) यदि आंबटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आंबटित नहीं किए हैं तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदकों को लौटा दी जायेगी या फिर उन पर देय आंबटन राशि में उसका समायोजन कर दिया जाएगा।

(छ) सफल आबंटन प्राप्तकर्त्ताओं को आंबटन पत्र भेजा जाएगा।

(ज) आंबटन के 30 दिन के अंदर निदेशक अथवा सचिव के हस्ताक्षरयुक्त आंबटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी।

एक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने अंश अथवा ऋण पत्रों की खरीद के लिए जनता को आमंत्रित करें। इसके स्थान पर यह एक निजी कंपनी की तरह मित्रों सगे संबंधियों अथवा निजी स्रोतों से धन जुटा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आंबटन से कम से कम तीन दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराया जाएगा।

7.2.4 व्यापार का प्रारंभ

सार्वजनिक कंपनी यदि नए अंशों का निर्गमन कर न्यूनतम अभिदान राशि जुटाती है तो वह कंपनी रजिस्ट्रार को व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी। ऐसे में निम्न प्रलेखों की आवश्यकता होगी।

(क) इस आशय की घोषणा है, कि प्रविवरण पत्र में वर्णित न्यूनतम अभिदान राशि के

व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र

(नमूना)

मैं एतद प्रमाणित करता हूँ कि .... लि. .... जिसका समामेलन .... 200 .... के .... दिन को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत समामेलन हुआ था एवं जिसने आज .... फार्म में संवैधानिक घोषणा जमा करा दी है तथा धारा 149 की शर्तों को पूरा कर रही है, व्यापार प्रारंभ के लिए अधिकृत है।

आज .... वर्ष .... की तिथि को मेरे हस्ताक्षरयुक्त जारी किया।

मोहर

रजिस्ट्रार
संयुक्त पूँजी कंपनी
(राज्य)

कंपनी के सीमा नियम
नमूना

1. **नामः** कंपनी का नाम एक्सिलेंट एजूकेशनल सर्विसिज लि. होगा। इसका आगे इ.इ.एस. लि. के नाम से संबोधन होगा।
2. **पंजीकृत कार्यालयः**
   कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित होगा एवं वर्तमान में यह श्री अरविंदों मार्ग, नई दिल्ली 110016 में स्थित है।
3. **मुख्य उद्देश्यः**

(क) घरेलू बाजार एवं विश्व बाजार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय उत्पादों का डिजाइन, विकसित एवं वितरण करना।

(ख) जीवन पर्यंत सीखते रहने के संदर्भ में शिक्षा/पुनः शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न पायदानों को प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न खंडों में अपनी उपस्थिति / बाजार में हिस्सा स्थापित एवं सुदृढ़ करना जैसे कि भविष्य की संभावनाओं को चिन्हित करना, पाठ्यचर्या रूपांकन अध्यापन विद्या, परीक्षा लेना एवं मूल्यांकन करना, सामाजिक/ बाजार की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, विषय सामग्री एवं मानव संसाधनों का विकास एवं नवीनीकरण।

(ग) कंपनी के उद्देश्यों को बढावा देने के लिए अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अध्ययन समिति, जरनल, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, मोनोग्राफ एवं अन्य बहुभाषी साहित्य / मल्टीमीडिया उत्पादों का विकास, प्रकाशन / उत्पादन करना।

(घ) शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय एवं समाज को प्रभावित करने वाली समस्याओं के लिए प्रोग्राम, सम्मेलन भाषण एवं गोष्ठियों, परिसंवाद जिया एवं कार्य शालाओं का आयोजन करना।

4. **दायित्व की धाराः** सदस्यों का दायित्व अंशों के अदत्त मूल्य की राशि तक सीमित होगा।
5. **पूँजी अभिदान की धाराः** कंपनी का पंजीयन 2.5 करोड़ की पूँजी से कराया जाएगा जो 10 रु के 25 लाख अंशों में विभक्त होगा।

हम अधोलिखित व्यक्ति स्वेच्छा से सीमा नियमों के हस्ताक्षरकर्ता होने के लिए सहमत हुए हैं।

अर्चना अग्रवाल	अनुपमा महाजन
एस.सी. गुप्ता	पी.के. शर्मा
एम.एल.बंसल	निधी चौपड़ा
रमा सिंह	थोमस मैथ्यू
असलम खान	ऊषा उत्थप

कंपनी सीमा नियमों पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम एवं पतों में परिवर्तन कर दिया गया है।

बराबर के अंश जिसका भुगतान नकद होना है क्रय कर लिए गए हैं एवं उनका आंबटन हो गया है।

(ख) घोषणा है, कि प्रत्येक निदेशक ने उसी अनुपात में आवेदन एवं आबंटन राशि का नकद भुगतान उसी अनुपात में कर दिया है जिस अनुपात में दूसरों ने किया है।

(ग) यह घोषणा है, कि कंपनी द्वारा शेयर बाजार में आवेदन करने अथवा प्रतिभूतियों के विनियम की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहने पर, आवेदकों को न तो कोई राशि देय है और न ही इस प्रकार का कोई दायित्व है।

(घ) वैधानिक घोषणा है, कि उपरोक्त आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हैं। इस घोषणा पर किसी निदेशक अथवा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए।

एक सार्वजनिक कंपनी जो निजी तौर पर धन जुटा रही है एवं उसने पहले ही स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा करा दिया है को केवल ऊपर दिए प्रलेख 2 एवं 4 ही जमा कराने हैं।

रजिस्ट्रार इन प्रलेखों की जाँच पड़ताल करेगा। यदि वह इन्हें सही पाता है तो वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि कंपनी अब व्यापार कर सकती है। इस प्रमाण के साथ ही कंपनी निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कंपनी कानूनी रूप से व्यापार प्रारंभ कर सकती है।

(क) शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सेवा उत्पादों के डिजाइन करने, विकसित करने एवं सुपर्दगी के लिए विशिष्ट, योग्यता एवं क्षमता का विकास करना।

(ख) सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों एवं सस्थानों से तालमेल एवं नेटवर्क एवं शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के संबंधों का पोषण करना।

(ग) व्यावहारिक ज्ञान के लिए वैबसाइट।

(घ) प्रलेखन सेवाओं हेतू अनुसंधान एवं संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना।

(ङ) कंपनी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के संवर्धन के लिए चल एवं अचल संपत्ति रखना, क्रय करना, पट्टे पर देना।

(च) कंपनी के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए इनाम, अनुदान, वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति देना।

(छ) शिक्षा से संबंधित मामले, समस्याएं एवं चुनौतियों को उठाने, उन पर विचार विमर्श करने एवं उन्हें सुलझाने के लिए मंच प्रदान करना।

(ज) सामान्यत: ऐसे सभी वैधानिक कार्यो को करना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शक अथवा प्रासंगिक हैं।

फार्म सं. 1 (अ)
कंपनी अधिनियम 1961
(नामों की उपलब्धता के लिए आवेदन फार्म)

सेवा में
कंपनी रजिस्ट्रार

महोदय,

विषयः नामों की उपलब्धता-सूचना प्रदान करने हेतू हम अधोलिखित आवेदक .... राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के अतर्गत एक पंजीयन के इज्छुक हैं।

1. नाम की उपलब्धता के लिए निवेदक/निवेदकों के नाम, एवं पते।
2. कंपनी का प्रस्तावित नाम।
3. बताएं सार्वजनिक है अथवा निजी
4. यदि 2 में वर्णित प्रस्तावित नाम उपलब्ध नहीं है, तीन नाम जिन पर प्राथमिकता क्रम में विचार करना है।
5. प्रस्तावित कंपनी का मुख्य उद्देश्य।
6. भावी निदेशकों प्रर्वतकों आदि के नाम एवं पते।
7. इसी समुह अथवा प्रबंध के अधीन दूसरी कंपनियों के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय की स्थिति का विवरण।
8. प्रस्तावित अधिकृत पूँजी।
9. नाम की उपलब्धता के लिए इस या अन्य किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास यदि कोई आवेदन किया है तो उसका विवरण एवं परिणाम लिखें।
10. फीस के भुगतान संबंधी विवरण।

स्थान ------- ------------------
तिथि ------- आवेदक के हस्ताक्षर

* कंपनी/केंद्रीय सरकार/सामान्य नियम एवं फार्म 1956 के नियम 4 को देखें।

मुख्य शब्दावली

प्रवर्तन	कंपनी के अंतर्नियम	वैद्यानिक घोषणा	समामेलन
पूँजी अभिदान	व्यापार प्रारंभ प्रमानपत्र	प्रारम्भिक प्रसंविदे	संस्थापन प्रलेख
प्रविवरण पत्र			

सारांश

निजी कंपनी के निर्माण के दो चरण हैं प्रवर्तन एवं समामेलन। सार्वजनिक कंपनी का पूँजी अभिदान की स्थिति से गुजरना होता है और तब परिचालन प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।

1. प्रवर्तनः इसका प्रारंभ एक लाभ योग्य संभावनाओं से पूर्ण व्यवसाय के विचार की कल्पना से होता है। क्या इस विचार को लाभप्रद बनाया जा सकता है। इसके लिए तकनीकी, वित्तीय एवं आर्थिक साध्यता अध्ययन किए जाते हैं। यदि जांच के पक्ष में परिणाम निकलते हैं तो प्रवर्तक कंपनी के निर्माण का निर्णय ले सकते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय की कल्पना करते है। कंपनी निर्माण का निर्णय लेते हैं इसके लिए आवश्यक कदम उठाते हैं एवं संबद्ध जोखिम उठाते हैं। उन्हें प्रवर्तक कहते हैं।

प्रवर्तन के चरण

1 कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की स्वीकृति ली जाती है।
2. संस्थापन प्रलेख हस्ताक्षरकर्ता निश्चित किए जाते हैं।
3. प्रवर्तकों की सहायता के लिए पेशेवर नियुक्त किए जाते हैं।
4. पंजीयन के लिए आवश्यक प्रलेख तैयार किए जाएंगे।

आवश्यक प्रलेख

(क) संस्थापन पलेख
(ख) अंतर्नियम
(ग) प्रस्तावित निदेशकों की स्वीकृति
(घ) प्रस्तावित प्रबंध अथवा पूर्णकालिक निदेशक से समझौता यदि कोई है तो
(च) वैधानिक धोषणा

2. समामेलनः आवश्यक प्रलेख एवं पंजीयन शुल्क के साथ प्रवर्तकों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाता है। जाँच के पश्चात रजिस्ट्रार समामेलन प्रमाण पत्र दे देता है। प्रलेखों में कोई बड़ी कमी होने पर ही पंजीयन से इंकार किया जा सकता है। समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का निश्चित प्रमाण होता है। समामेलन में बड़ी कमी होने पर भी कंपनी के वैधानिक अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता है।

3. पूँजी अभिदानः जनता से कोष जुटानेवाली कंपनी कोष जुटाने के लिए निम्न कदम उठाएगी।

(क) सेबी की अनुमति
(ख) कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र की प्रति जमा करना।
(ग) ब्रोकर, बैंकर एवं अभिगोपनकर्ता आदि की नियुक्ति।
(घ) न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
(ङ) कंपनी की प्रतिभूतियों के सूचियन के लिए आवेदन।
(च) अधिक प्रार्थना राशि को वापस करना, समायोजन करना।

छ) सफल प्रार्थियों को आबंटन पत्र जारी करना।

ज) कंपनी रजिस्ट्रार के पास आबंटन विवरणी जमा कराना।

एक सार्वजनिक कंपनी जो मित्रों / सगे संबंधियों (जनता नहीं) से धन जुटा रही है। उसे अंशों के आंबटन से कम से कम तीन दिन पूर्व ROC के पास प्रविवरण पत्र का स्थानापन्न विवरण एवं आबंटन की समाप्ति पर आबंटन विवरणी जमा कराएगी।

4. व्यवसाय प्रारंभ: एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से कोष जुटा रही है, को निम्न प्रलेखों के साथ व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र पाने के लिए आर.ओ.सी. के पास आवेदन करेगा।

1. न्यूनतम अभिदान की आवश्यकता को पूरा करने संबंधी घोषणा।
   (क) निदेशकों को आबंटन के संबंध में विस्तृत घोषणा।
   (ख) प्रार्थियों को कोई राशि देय नहीं है के संबंध में घोषणा।
   (ग) संवैधानिक घोषणा।

एक सार्वजनिक कंपनी जो निजी तौर पर कोष जुटा रही है को केवल 2 और 4 सूची के प्रलेख जमा करने होते हैं। संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र कंपनी के गठन संबंधित आवयकताओं के पूरा होने का निर्णयक प्रमाण है।

अंतिम प्रसंविदे: कंपनी समामेलन के पश्चात लेकिन व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र से पूर्व हस्ताक्षर युक्त प्रसंविदे।

प्रारंभिक प्रसंविदे: कंपनी समामेलन से पूर्व प्रवर्तकों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य पक्षों से प्रसंविदे।

अभ्यास

बहुविकल्पी प्रश्न

1. एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या:
   (क) 2 (ख) 3 (ग) 5 (घ) 7
2. एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या:
   (क) 5 (ख) 7 (ग) 12 (घ) 21
3. कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।
   (क) SEBI (ख) कंपनी रजिस्ट्रार को (ग) भारत सरकार को
   (घ) उस राज्य की सरकार को जिसमें कंपनी का पंजीयन कराया गया है।
4. कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाएगा यदि
   (क) यह किसी वर्तमान कंपनी के नाम से मिलता हो
   (ख) यह किसी वर्तमान कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो।
   (ग) यह भारत सरकार या सयुक्त राष्ट्र आदि का प्रतीक चिंह हो
   (घ) उपर्युक्त में कोई एक।

5. प्रविवरण पत्र को जारी करता है:
   (क) एक निजी कंपनी
   (ख) जनता से निवेश चाहने वाली सार्वजनिक कंपनी
   (ग) एक सार्वजनिक उद्यम
   (घ) एक सार्वजनिक कंपनी
6. एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के विभिन्न चरणों का क्रम:
   (क) प्रवर्तन, व्यापार प्रारंभ, समामेलन, पूँजी अभिदान
   (ख) समामेलन, पूँजी अभिदान, व्यापार प्रारंभ, प्रवर्तन
   (ग) प्रवर्तन, समामेलन, पूँजी अभिदान, व्यापार प्रारंभ
   (घ) पूँजी अभिदान, प्रवर्तन, समामेलन, व्यापार प्रारंभ
7. प्रारंभिक प्रसंविदों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
   (क) समामेलन से पहले
   (ख) समामेलन के उपरांत परंतु पूँजी अभिदान से पूर्व
   (ग) समामेलन के उपरांत परंतु व्यापार प्रारंभ से पूर्व।
   (घ) व्यापार प्रारंभ के उपरांत
8. प्रारंभिक प्रसंविदे
   (क) कंपनी पर लागू होते हैं।
   (ख) कंपनी पर समामेलन के उपरांत
   (ग) कंपनी पर समामेलन के बाद लागू होते हैं।
   (घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों के नाम लिखें।
2. कंपनी समामेलन के लिए आवश्यक प्रलेखों को सूचीबद्ध करें।
3. प्रविवरण पत्र क्या है? क्या प्रत्येक कंपनी के लिए प्रविवरण पत्र जमा कराना आवश्यक है?
4. योग्यता अंश क्या होते हैं।
5. न्युनतम अभिदान शब्द को समझाइए।
6. आबंटन शब्द को संझेप में समझाइए।
7. SEBI क्या है। कंपनी निर्माण के किस स्तर पर यह प्रसंविदों मे अंतर करें।
8. प्रारंभिक प्रसंविदे

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रवर्तन शब्द का क्या अर्थ है? प्रवर्तकों ने जिस कंपनी का प्रवर्तन किया है उसके संदर्भ में उनकी कानूनी स्थिति की चर्चा कीजिए।
2. कंपनी के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तक क्या कदम उठाते हैं उनको समझाइए।
3. कंपनी के सीमा नियम क्या हैं? इसकी धाराओं को संक्षेप में समझाइए।
4. सीमा नियम एवं अंतर्नियम में अंतर कीजिए।
5. समामेलन प्रमाण पत्र एवं व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्रों की निर्णायकता का क्या प्रभाव होता है।
6. क्या एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अपने शेयरों का किसी स्कंध विनिमय/स्टॉक एक्सचेंज में सूचियन आवश्यक है? एक सार्वजनिक कंपनी जो सार्वजनिक निर्गमन करने जा रही है यदि प्रतिभूतियों में व्यापार

की अनुमति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन नहीं कर पाती है अथवा उसे इसकी अनुमति नहीं मिलती है तो इसके क्या परिणाम होंगे।

सत्य/असत्य उत्तरीय प्रश्न

1. चाहे कंपनी निजी है अथवा सार्वजनिक प्रत्येक का समामेलन कराना अनिवार्य है।
2. स्थानापन्न प्रविवरण पत्र को सार्वजनिक निर्गमन करने वाली सार्वजनिक कंपनी जमा कर सकती है।
3. एक निजी कंपनी समामेलन के उपरांत व्यापार प्रारंभ कर सकती है।
4. एक कंपनी के प्रवर्तन में प्रवर्तकों की सहायता करने वाले विशेषज्ञों को भी प्रवर्तक कहते हैं।
5. एक निजी कंपनी समामेलन के उपरांत प्रारंभिक अनुबंधों का अनुमोदन कर सकती है।
6. यदि कंपनी का छद्म नाम से पंजीयन कराया जाता है तो इसका समामेलन अमान्य होगा।
7. कंपनी के अंतर्नियम इसका प्रमुख दस्तावेज होता है।
8. प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर्नियम जमा कराना अनिवार्य है।
9. कंपनी के समामेलन से पूर्व अल्पकालिक अनुबंध पर प्रवर्तकों के हस्ताक्षर होते हैं।
10. यदि कंपनी को भारी हानि उठानी पड़ती है तथा इसकी परिसंपत्तियाँ इसकी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो शेष को इसके सदस्यों की निजी संपत्ति से वसूला जा सकता है।